पुस्तकालय
(1)
2577
20/3/07

सत्यमेव जयते

1 6 MAR 2007 असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1–कार्यवाही–प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्रै०सं०...
तिथि...

बि० स० मु० (एल० ए०) 219—मोनो—1,000—9-6-2004

श्री भोला सिंह, क्रमशः- और महाविद्यालय की आकृति खो चुका है, इसलिए जो आपके सकारात्मक जवाब है,धन्यवाद देते हुए आग्रह है अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से,कि इसे वे कार्यान्वयन की दिशा में तत्परता बरतेंगे।

श्री चन्द्र मोहन राय,मंत्रीः- बिल्कुल बरती जायेगी महोदय।

तारांकित प्रश्न संख्याः-११९२

माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य श्री राम लखन महतो अनुपस्थित।

तारांकित प्रश्न संख्याः-११९३

माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य श्री रामानुज प्रसाद अनुपस्थित।

तारांकित प्रश्न संख्याः-११९४

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः- खण्ड १:- उत्तर स्वीकारात्मक है।

खण्ड २:- उत्तर स्वीकारात्मक है।

खण्ड ३:- यह कार्य पॉच महीने में करा दिया जायेगा।

तारांकित प्रश्न संख्याः-११९५

माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल अनुपस्थित।

तारांकित प्रश्न संख्याः-११९६

माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य श्री सत्यनारायण सिंह अनुपस्थित।

तारांकित प्रश्न संख्याः-११९७

श्री नरेन्द्र नारायण यादव,मंत्रीः- अध्यक्ष महोदय,उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है। जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिलान्तर्गत वर्ष २००६-०७ में हसनगंज प्रखंड के देहारगज,कटिहार प्रखंड के हाजीपुर एवं डडाखोरा प्रखंड के द्वासय एवं कधरपैली में अग्निकांड की घटना घटी है किन्तु टेढ़वा में वर्ष २००६-०७ में आग नहीं लगी है । अग्नि कांड में जान-माल की क्षति नहीं हुई है। अग्निकांड से पीड़ित परिवार को राहत स्वरुप खाद्यान यथा चूड़ा,गुड़,पॉलेथीन एवं नगद राशि उपलब्ध करायी गयी है। महोदय,जिन पीड़ित परिवारों के घर पूर्णतः जल गये हैं,उनकी पहचान कर इंदिरा आवास देने की कार्रवाई की जा रही है।

श्री तार किशोर प्रसादः- अध्यक्ष महोदय,मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ,जो इन गॉव में आग लगी है,मैं चुनौती देता हूं कि यह आग २००६-०७ के वित्तीय वर्ष में लगी है। दूसरी बात यह है कि अंचलाधिकारी के यहाँ से डायभर्सन करके नजारत से ५०० रुपया की राशि दी जाती है। आपदा मद में अगलगी हेड में राशि नहीं रहने के कारण उनलोगों को डायभर्सन किया जाता है,इसके चलते जो अंचलाधिकारी है,जो नाजीर हैं,वे भी परेशान होते हैं और जो इस मद में राशि रहनी चाहिए जिला में या अनुमंडल कार्यालय में,वह राशि नहीं है और इसके कारण ये सारी परेशानियाँ हो रही हैं।मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि वर्ष २००६-०७ या वर्ष २००५-०६के वित्तीय वर्ष में हमारे क्षेत्र में जितने भी अगलगी की घटनाएँ हुई हैं,उसमें जो आपदा विभाग के द्वारा जो नियत राशि विभिन्न मदों में अन्य सामग्री दी जानी है, उसके लिए क्या राशि मुहैया नियत अवधि में करा दिया जायेगा नहीं तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र नारायण यादव,मंत्रीः- महोदय,जहाँ आग लगती है या कोई प्राकृतिक घटना घटती है,वहाँ २४ घंटे के अंदर उनको सरकार के नियमानुसार हमको राहत मुहैया करानी है। राशि अगर उस हेड में उपलब्ध नहीं है तो डायभर्सन करके तुरत हमको सामग्री देनी है,जिसको बाद में एडजस्ट किया जाता है। माननीय सदस्य ने जिन कटिहार विधान सभा क्षेत्र के जिन गॉवों की चर्चा की है,महोदय मैंने अपने जवाब में कहा है कि जो जिला पदाधिकारी ने प्रतिवेदन दिया है जो सरकारी नियमानुसार राहत सामग्री मिलनी चाहिए उन्हें दी गयी है और जिनके घर पूर्ण रुप से जल गये हैं,इंदिरा आवास दिलाने के लिए वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है।

क्रमशः